प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 11.09.2021

चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर लूटेरा गिरफ्तार–(थाना आसपुर देवसरा)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरन्तर चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा से उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, उ0नि0श्री तिलक सिंह मय हमराह द्वारा आज दिनांक 11.09.2021 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के तिलियानी पुलिया के पास नहर पटरी पर से एक व्यक्ति अनूप सरोज पुत्र अशोक सरोज नि0 ग्राम बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियुक्त अनूप सरोज अवैध असलहे से राहगीरों को डरा धमकाकर उनसे उनका सामान व रूपये लूट लेता है। इससे पहले भी यह थाना पट्टी से लूट व अवैध असलहा रखने के मामले में जेल जा चुका है। आज भी यह यहां पर लूटपाट करने के इरादे से आया था, जिसे उक्त पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

अनूप सरोज पुत्र अशोक सरोज नि0 ग्राम बैजलपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर।
02. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त अनूप सरोज का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 142/20 धारा 394/411 भादवि, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 143/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान, उ0नि0श्री तिलक सिंह,आरक्षी रामनरेश व आरक्षी गौरव यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ।

07 अदद देसी बम के साथ 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना रानीगंज)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज से उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार यादव व उ0नि0 श्री लाल बहादुर पाल मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 355/2021 धारा 147, 148, 149, 120बी, 323, 307 भादंवि, से संबंधित वांछित अभियुक्त शिवम मिश्रा पुत्र हरिओम मिश्रा निवासी भगेसरा थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के गाजी बाग तिराहा से देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान स्कूटी से जाते समय गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त उपरोक्त की तलाशी में उसकी स्कूटी की डिग्गी से 07

अदद देसी बम बरामद किया गया। इस बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 489/2021 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 1407.2021 को थाना क्षेत्र रानीगंज के दादूपुर पेट्रोल पम्प पर अभियुक्त शिवम मिश्रा उपरोक्त व अन्य 13 लोगों के द्वारा एक राय होकर वादी के ऊपर गोली व बम से हमला किया गया था जिसमें वादी व दो अन्य लोग घायल हो गये थे।

इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 355/2021 धारा 147, 148, 149, 120बी, 323, 307 भादंवि , का अभियोग पंजीकृत किया गया था। (उक्त मुकदमें से संबंधित दो अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

शिवम मिश्रा पुत्र हरिओम मिश्रा निवासी भगेसरा थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार यादव व उ0नि0 श्री लाल बहादुर पाल मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवां)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना हथिगवां से उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 107/2021 धारा 147/148/149/307/308/325/323/427/452/504/506 भादंवि, से संबंधित वांछित अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह चौहान उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 बन्धारी नि0 पूरेजीत चौधरी का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र हथिगवां के इण्टर कॉलेज हथिगवां के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण–

दिनांक 09.06.2021 को थाना क्षेत्र हथिगवां के ग्राम पूरे जीत में उक्त अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह चौहान व अन्य 09 लोगों ने गांव की पार्टी बन्दी रंजिश के कारण दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी आदि से मारा–पीटा था, जिसके संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 107/2021 धारा 147/148/149/307/308 /325/323/427/452/504/506 भादंवि, का अभियोग पंजीकृत किया गया था। (उक्त मुकदमें से संबंधित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

बीरेन्द्र सिंह चौहान उर्फ कल्लू पुत्र स्व0 बन्धारी नि0 पूरेजीत चौधरी का पुरवा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।

'पुलिस टीम–' उ0नि0 श्री राजेश कुमार मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवारा से उ0नि0 श्री शत्रुघन वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 302/2021 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506/354ख भादंवि, से संबंधित वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र हरिकेश नि0 ग्राम शीतलपट्टी सड़वाखास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र जेठवारा के अवसानगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमें से संबंधित 03 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है व एक अभियुक्त द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है। मुकदमें से संबंधित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

घटना का विवरण–

दिनांक 17.07.2021 को शाम के समय थाना क्षेत्र जेठवारा के ग्राम शीतलपट्टी सड़वाखास में उक्त अभियुक्त रोहित कुमार व अन्य 12 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी आदि से मारा–पीटा था, जिसके संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 302/2021 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506/354ख भादंवि, का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

रोहित कुमार पुत्र हरिकेश नि0 ग्राम शीतलपट्टी सड़वाखास थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री शत्रुघन वर्मा मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना संग्रामगढ़)–

जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 303/2020 धारा 363, 366 भादंवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सुनील कुमार पटेल उर्फ भोदू पटेल पुत्र जगन्नाथ पटेल निवासी मुरैनी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के कुसेमर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

सुनील कुमार पटेल उर्फ भोदू पटेल पुत्र जगन्नाथ पटेल निवासी मुरैनी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम– उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव मय हमराह थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ।